न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 02 / 2023
दायर दिनांक– 04.04.2023
निर्णय दिनांक– 22.05.2024

उनवान

1. नाथुलाल पिता खेमा भील निवासी जाजडो का खेडा, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. नानुराम पिता खेमा फोत के बजाय
   2.(1)ज्ञानी पत्नि नानुराम भील निवासी जाजडो का खेडा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
3. बालुराम पिता खेमा लाऔलाद फोत
4. भगवान लाल पिता खेमा भील निवासी जाजडो का खेडा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
5. रूपा पिता खेमा भील निवासी जाजडो का खेडा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
6. लच्छीराम पिता खेमा भील निवासी जाजडो का खेडा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
7. सोहनलाल पिता खेमा लाऔलाद फौत

प्रार्थीगण्

बनाम

1. बालु पिता लालु भील निवासी जाजडो का खेडा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. भगा पिता मोहन भील निवासी जाजडो का खेडा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
3. अमरा पिता मोहन भील निवासी जाजडो का खेडा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
4. केशा पिता वरदा भील निवासी जाजडो का खेडा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण्

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण हाजिर नही। बार–बार आवाजे लगाई गई फिर भी अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नही हुआ। इस कारण अप्रार्थीगण के विरूध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम फलासिया पटवार हल्का फलासिया तहसील भूपालसागर के आ. सं. 292 रकबा 0.19 हैक्टर, आ. सं. 293 रकबा 0.18 हैक्टर, आ. सं. 368 रकबा 0.54 हैक्टर, आ. सं. 369 रकबा 0.32 हैक्टर आ.नं. 373 रकबा 0.13 हैक्टर, आ. नं. 375 रकबा 0.56 हैक्टर, आ.नं. 376 रकबा 0.34 हैक्टर, आ.नं. 377 रकबा 0.70 हैक्टर, आ.नं. 378 रकबा 0.31 हैक्टर, आराजी नं. 389 रकबा 0.37 हैक्टर, आ.नं. 392 रकबा 0.11 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 3.74 हैक्टर मे उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व मे सीमाकन की टीम गठित कर चारो दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर [illegible] रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय मे कोई प्रकरण विचाराधीन नही हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(पुनीत कुमार [illegible])
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर